न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2009 राजस्व वाद

1. रामप्रसाद पिता रामनाथ जी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा
2. सुन्दर देवी पत्नी रामप्रसाद जी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा

   मृतक के बजाय कायम मुकामः—

   2/1 कैलाश पिता रामप्रसाद जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा

   2/2 भैरू पुत्र रामप्रसाद जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा

   2/3 सोनु पुत्र रामप्रसाद जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा

   2/4 बलवन्ती पुत्री रामप्रसाद जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा

   2/5 आरती पुत्री रामप्रसाद जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

1. औमप्रकाश पिता भैरू जाति धोबी आयु वयस्क निवासी पुराना तारघर माणक नगर भीलवाड़ा
2. सुखदेव पिता उदा जी चमार आयु वयस्क निवासी 1 जी 2 आर0 सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा (नाम हजफ)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0
4. सौजीराम पिता भूरा जी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी देवपुरी तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

उपस्थित अधिवक्ताः—

1. श्री मांगीलाल सैन : वादी
2. श्री सत्यनारायण सोमाणी : प्रतिवादी
3. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक—7/7/2025

वादीगण की ओर से दिनांक 09.11.2009 को अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसे रिपोर्ट उपरान्त रजिस्टर में क्रम संख्या 23/2009 पर पंजीबद्ध किया गया एवं विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के शामलाती खाते की भूमि वाके ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में कृषि आराजियात 7411, 7412, 7422, 7423, 7426 कुल किता 05 कुल रकबा 1.6818 हैक्टयर स्थित थी। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 भैरू पिता मीठु का 1/3 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 सुखदेव पिता उदा का 4/9 हक हिस्से के आधार पर विभाजन का अनुतोष चाहा गया था।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री कैलाश आगाल का वकालतनामा दिनांक 20.06.2012 को पेश हुआ। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 01 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 जा0 दीवानी व धारा 151 जा0 दी0 दिनांक 31.05.2018 को पेश किया गया तथा वादी संख्या 2 की मृत्यु होने से आदेश 22 नियम 3 व 9 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2022 को पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.11.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 जा0दी0 तथा आदेश 1 नियम 10 जा0 दी0 व आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार करने हेतु सहमति दिये जाने से प्रार्थनापत्र स्वीकार किये गये।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के साथ राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी की प्रति पेश की गई।

7/7/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि ओमप्रकाश पुत्र भैरू तथा सोजीराम पुत्र भूरा के नाम दर्ज होने से ओमप्रकाश व सोजीराम की ओर से वकालतनामा श्री सत्यनारायण सोमाणी द्वारा पेश किया गया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 सपठित आदेश 1 नियम 10 जा0 दी0 दिनांक 17.01.2025 को पेश किया गया, जिसे दिनांक 11.02.2025 को स्वीकार किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.03.2025 को संशोधित वाद पत्र एवं विधिक वारिसान का वकालतनामा पेश किया गया। संशोधित वादपत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

उक्त वादग्रस्त कृषि आराजियात मे वादी संख्या 01 रामप्रसाद का 11/114 हिस्सा वादी संख्या 2/1 कैलाश पिता रामप्रसाद का 11/798 हिस्सा, वादी संख्या 2/2 भैरू पिता रामप्रसाद का 11/798 हिस्सा, वादी संख्या 2/3 सोनु पुत्री रामप्रसाद का 11/798 हिस्सा वादी संख्या 2/5 का 11/798 निहित होकर मौके पर काबीज है इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि मे वादीगण संख्या 01 व 2/1 सें 2/5 तक का कुलिया हक व हिस्सा 132/798 वा हक हिस्सा है। उसी अनुसार मौके पर काबीज होकर चारो और पत्थर की दीवार कर रखी है वादी रामप्रसाद जी ने अपने नाम पर विद्युत कनेक्शन लेकर सिंचाई हेतु विद्युत मोटर प्रतिस्थापित कर रखी है व उसका उपयोग उपभोग व कास्त की जा रही है अतः वादीगण अपना 132/798 हक व हिस्सा यानि 1/6 हक व हिस्सा का मौके पर माप व सीमांकन के जरिए विभाजन करवाने के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कुलिया 132/798 वा हिंस्सा यानि 1/6 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 01 भैरू पिता मिठु धोबी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 04 सौजीराम पिता भुरा रेगर का 200/399 वा हक व हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 02 सुखदेव ने अपना हक व हिस्सा दौराने वाद नामान्तरण संख्या 6207 निर्णय दिनांक 19.05.2011 से मगना पिता पन्ना रेगर को विक्रय कर दिया तथा मगना पिता पन्ना ने नामान्तरण संख्या 6606 निर्णय दिनांक 30.05.2012 से गोपाल लाल पिता रामपाल चमार सा0 हाल मुकाम भीलवाड़ा के नाम दर्ज किया गया। गोपाल लाल पिता रामपाल चमार ने विक्रय पत्र से वादग्रस्त भूमि सौजीराम पिता भूरा रेगर को विक्रय की गई। प्रतिवादी संख्या 02 का उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज नहीं है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 02 का नाम डिलिट किया गया है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 04 का राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हक व हिस्सा का मौके पर माप व सीमाकन किया जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगाया जाकर अंतिम डिकी जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का मौके पर माप व सीमाकंन के आधार पर विभाजन कराया जाने हेतु कई बार निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण टालम टौल करते रहे व अंतिम रूप से दिनांक 5/10/2009 को बिल्कुल ही इन्कार हो गये अतः विभाजन का वादप्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

प्रस्तुत वाद मे राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाडा भूधारक होने से औपचारिक पक्षकार बनाया जा रहा है इनके विरूद्ध कोई अनुतोष अपेक्षित नही है अतः धारा 80 जा०दि० का नोटिस नही दिया गया है।

वाद कारण दिनांक 5/10/2009 से उत्पन्न होकर जारी है।

विवादग्रस्त कृषि आराजियात वाके ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा में स्थित है, न्यायालय श्रीमान के क्षेत्र में स्थित है अतः वादपत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वादपत्र अंन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम बाबत् कृषि आराजियात का विभाजन कराये जाने बाबत् है जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से श्रीमान के समक्ष निम्न अनुतोष हेतु पेश है **:–**

वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध विभाजन की डिकी इस आश्य की जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील भीलंवाडा जिला भीलवाडा में स्थित कृषि भूमि आराजी नम्बर 7411 रकबा 0.3288 हैक्टयर, आराजी नम्बर 7412 रकबा 0.8093 हैक्टयर, आराजी नम्बर 7422 रकबा 0.2908 हैक्टयर आराजी नम्बर 7423 रकबा 0.1517 हैक्टयर, आराजी नम्बर 7426 रकबा 0.1012 रकबा कुल किता 05 कुल रकबा 1.6818 हैक्टयर मे वादी संख्या 01 रामप्रसाद का 11/114 हिस्सा वादी संख्या 2/1 कैलाश पिता रामप्रसाद का 11/798 हिस्सा वादी संख्या 2/2 भैरू पिता रामप्रसाद का 11/798 हिस्सा वादी संख्या 2/3 सोनु पुत्री रामप्रसाद का 11/798 हिस्सा, वादी संख्या 2/4 बलवन्ती पुत्री रामप्रसाद का 11/798 हिस्सा व वादी संख्या 2/5 का आरती पुत्री रामप्रसाद का 11/798 हिस्सा निहित हिस्सा के अनुसार मौके पर माप व सीमाकंन कराया जाकर के प्राथमिक डिकी जारी की जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगाया जाकर अन्तिम डिकी जारी फरमाई जावे।

7/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

जिसमें प्रतिवादी संख्या 02 सुखदेव पिता उदा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने के उपरान्त भी सहवन से वाद से रह जाने के कारण प्रार्थनापत्र वास्ते नाम विलोपित करने हेतु पेश किया गया, जिसे दिनांक 24.04.2025 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 02 का नाम लाल स्याही से हजफ किया गया।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 1754 में अभिलिखित आराजी नम्बर 7411, 7412, 7422, 7423, 7426 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6818 हैक्टयर भूमि में वादी संख्या 1 का 11/114 हक हिस्सा, वादी संख्या 2/1 का 11/798 हक हिस्सा, वादी संख्या 2/2 11/798 हक हिस्सा, वादी संख्या 2/3 का 11/798 हक हिस्सा, वादी संख्या 2/4 का 11/798 हक हिस्सा, वादी संख्या 2/5 का 11/798 हक हिस्सा, अतः वादीगण संख्या 1 व वादी संख्या 2/1 लगायत 2/5 का कुलिया हक व हिस्सा 1/6 वा हक हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 200/399 हक हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होकर इसी अनुपात में काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा दर्ज नहीं होने की वजह से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम वाद से विलोपित किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 2 का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहने से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार प्रारम्भिक डिक्री पारित की जावे।

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 09.05.2025 को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि प्रारम्भिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 4 इस आशय की जारी की गई कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 1754 में अभिलिखित आराजी नम्बर 7411, 7412, 7422, 7423, 7426 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6818 हैक्टयर भूमि में वादी संख्या 1 का 11/114 हक हिस्सा, वादी संख्या 2/1 का 11/798 हक हिस्सा, वादी संख्या 2/2 11/798 हक हिस्सा, वादी संख्या 2/3 का 11/798 हक हिस्सा, वादी संख्या 2/4 का 11/798 हक हिस्सा, वादी संख्या 2/5 का 11/798 हक हिस्सा, अतः वादीगण संख्या 1 व वादी संख्या 2/1 लगायत 2/5 का कुलिया हक व हिस्सा 1/6 वा हक हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 200/399 हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, अनुसार विभाजन करने के आदेश दिये गये। राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नियम 18 से 21 को मध्यनजर रखते हुए विभाजन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। विभाजन मिटस एण्ड बाउण्डस के अनुसार तैयार करने हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को अधिकृत किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से की प्राथमिक डिक्री वास्ते विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 09.05.2025 को जारी की गई।

तहसीलदार भीलवाड़ा से दिनांक 23.05.2025 को प्राथमिक डिक्री की पालना में कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 7411, 7412, 7422, 7423, 7426 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6818 हैक्टयर भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। दिनांक 23.05.2025 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पत्रावली वास्ते कुरेजात प्रस्ताव पर वादी की आपत्ति/आक्षेप हेतु नियत की गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय रूप से बनाया गया है, जिसमें नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई और सड़क के फ्रंट पर वादीगण को जो रकबा दिया गया वो तिरछा है, जबकि वादीगण का कब्जा जहां विद्यमान है वहां का प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्ति का जवाब नहीं देते हुए सीधे बहस कर निवेदन किया जिस पर उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादीगण के कब्जे काश्त को ध्यान में नहीं रखते हुए सड़क से लगते हुए फ्रंट पर वादीगण को तिरछा हिस्सा दिया गया है जिसमें नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुई है। साथ ही तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय रूप से बनाया गया है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा वादग्रस्त आराजियात में सभी खातेदारों को सड़क पर पहुँच मार्ग उपलब्ध करावये जाने हेतु वादी एवं प्रतिवादी की सहखातेदारी भूमि में सड़क से लगते हुए खसरा नम्बरों में तिरछा हिस्सा किया गया है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा विभाजन आदेश की पालना में वादीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु उनके द्वारा बाद सूचना भी मौके पर उपस्थित नहीं हुए है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित नोटिस कमांक 1198 दिनांक 14.05.2025 की प्रति विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित की गई है। जिसमें नोटिस प्राप्ति पर वादी संख्या 1 व वादी संख्या 02 लगायत 06 के पिता श्री रामप्रसाद के हस्ताक्षर है। अतः वादीगण की आपत्ति खारिज योग्य है।

7/7/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 7411, 7412, 7422, 7423, 7426 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6818 हैक्टयर भूमि के सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में खाता शामलाती होने से पक्षकारो को फसल काश्त करने विकास करने उपजाउ बनाने व लगान आदि जमा कराने में एवं भूमि को विकसित करने में भारी कठिनाई आती है तथा कृषि भूमि को काश्त करते समय मौके पर वाद विवाद व लडाई झगडा होता रहता है। अतः प्रतिवादीगण एवं वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि को पृथक-पृथक किये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक-हिस्से अनुसार विभाजित करने की अंतिम डिक्री पारित की जावे।

वादीगण के वादपत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

वादी द्वारा तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त आपत्ति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व वादी को सूचित किये जाने का सूचना पत्र संलग्न है। अतः एकपक्षीय रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की आपत्ति खारिज की जाती है। साथ ही समस्त खातेदारों को पहुंच मार्ग सुनिश्चित कराने हेतु विभाजन प्रस्ताव में खसरों का विभाजन किये जाने से वादी की आपत्ति खारिज की जाती है।

तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 एवं 4 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 7411, 7412, 7422, 7423, 7426 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6818 हैक्टयर भूमि का तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

1. रामप्रसाद पिता रामनाथ वादी संख्या 01 का 811/1391 हक हिस्सा व वादी संख्या 2/1 से लगायत 2/5 कैलाश पुत्र रामप्रसाद का 116/1391 हक हिस्सा, भैरूलाल पुत्र रामप्रसाद का 116/1391 हक हिस्सा, सोनु पुत्री रामप्रसाद का 116/1391 हक हिस्सा, बलवन्ती पुत्री रामप्रसाद का 116/1391 हक हिस्साा, आरती पुत्री रामप्रसाद का 116/1391 हक हिस्सा के नाम दर्ज की जावे।

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
7422/1	0.1391	बंजड़
7422/2	0.0526	बंजड़
7423/1	0.0300	नहरी II
7426/1	0.0565	नहरी II
कुल किता 04	कुल रकबा 0.2782	

2. प्रतिवादी संख्या 01 औमप्रकाश पिता भैरू जाति धोबी आयु वयस्क निवासी पुराना तारघर माणक नगर, खातेदार

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
7411	0.3288	चाही II
7412/1	0.2318	चाही II
कुल किता 02	कुल रकबा 0.5606	

7/7/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

3. प्रतिवादी संख्या 04 सौजीराम पिता भूरा जी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी देवपुरी तह0 शाहपुरा, खातेदार

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
7412/2	0.5775	चाही II
7422/3	0.0991	बंजड़
7423/2	0.1217	नहरी II
7426/2	0.0447	नहरी II
कुल किता 04	कुल रकबा 0.8430	

तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। अतएव

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 4 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 7411, 7412, 7422, 7423, 7426 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6818 हैक्टयर भूमि में तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

7/7/25

(अरूण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. रामप्रसाद पिता रामनाथ जी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा
2. सुन्दर देवी पत्नी रामप्रसाद जी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा

मृतक के बजाय कायम मुकामः–

2/1 कैलाश पिता रामप्रसाद जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा

2/2 भैरू पुत्र रामप्रसाद जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा

2/3 सोनु पुत्र रामप्रसाद जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा

2/4 बलवन्ती पुत्री रामप्रसाद जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा

2/5 आरती पुत्री रामप्रसाद जाति खटीक आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. औमप्रकाश पिता भैरू जाति धोबी आयु वयस्क निवासी पुराना तारघर माणक नगर भीलवाड़ा
2. सुखदेव पिता उदा जी चमार आयु वयस्क निवासी 1 जी 2 आर0 सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा (नाम हजफ)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0
4. सौजीराम पिता भूरा जी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी देवपुरी तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

निर्णय दिनांक–7/7/2025

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 उपस्थित नहीं में– इस वाद में आज तारिख 7/7/2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत निम्न अन्तिम डिकी दी जाती है–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 व 04 के इस आशय की जारी की जारी की जाती है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उसी अनुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के नियमानुसार नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. रामप्रसाद पिता रामनाथ वादी संख्या 01 का 811/1391 हक हिस्सा व वादी संख्या 2/1 से लगायत 2/5 कैलाश पुत्र रामप्रसाद का 116/1391 हक हिस्सा, भैरूलाल पुत्र रामप्रसाद का 116/1391 हक हिस्सा, सोनु पुत्री रामप्रसाद का 116/1391 हक हिस्सा, बलवन्ती पुत्री रामप्रसाद का 116/1391 हक हिस्साा, आरती पुत्री रामप्रसाद का 116/1391 हक हिस्सा के नाम दर्ज की जावे।

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
7422/1	0.1391	बंजड़
7422/2	0.0526	बंजड़
7423/1	0.0300	नहरी II
7426/1	0.0565	नहरी II
कुल किता 04	कुल रकबा 0.2782	

7/7/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 औमप्रकाश पिता भैरू जाति धोबी आयु वयस्क निवासी पुराना तारघर माणक नगर, खातेदार

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
7411	0.3288	चाही II
7412/1	0.2318	चाही II
कुल किता 02	कुल रकबा 0.5606	

3. प्रतिवादी संख्या 04 सौजीराम पिता भूरा जी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी देवपुरी तह0 शाहपुरा, खातेदार

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
7412/1	0.5775	चाही II
7422/3	0.0991	बंजड़
7423/2	0.1217	नहरी II
7426/2	0.0447	नहरी II
कुल किता 04	कुल रकबा 0.8430	

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आज दिनांक ...7/7/...2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

7/7/2025

(अरूण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा